संख्या: 91/2015/1739/छप्पन-2015-43/2008 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2015

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-230 वी0टी0यू0पी0बी0 का निस्तारण/विक्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-609/ना0उ0/2015, दिनांक 20.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के निष्प्रयोज्य हेलीकॉप्टर के विक्रय हेतु हेलीकॉप्टर के निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के परिप्रेक्ष्य में वेल-230 तथा उनके रोटेबल्स के निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा समिति के समक्ष निविदा खोली गयी। बेल-230 हेलीकॉप्टर वी0टी0-यू0पी0बी0 के लिये मात्र एक निविदा प्राप्त हुई है। हेलीकॉप्टर बेल- 230 का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 492.29 लाख (रूपया चार करोड़ बयानवे लाख उन्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 495.00 लाख (रूपया चार करोड़ पन्चानबे लाख मात्र) की उच्चतम दर मेसर्स यू0वाई0 एवियेशन, 9/10, द्वितीय तल, सुख शान्ति नूतल लक्ष्मी सोसाईटी, एन0एस0 रोड, 8 प्लाट नं0-65 जेवीपीडी वाइल परले (वेस्ट) मुम्बई, द्वारा दी गयी है। तदनुसार निविदा समिति ने उच्चतम दरदाता के पक्ष में बिक्रय करने की संस्तुति की है।

सम्यक विचारोपरान्त निविदा समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल उपर्युक्तानुसार राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-230 (वी0टी0-यू0पी0बी0) को उच्चतम दरदाता के पक्ष में उनके द्वारा दी गयी दर पर विक्रय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त हेलीकॉप्टर के विक्रय की कार्यवाही करते समय एयरक्राफ्ट रूल्स-1937 के प्रस्तर-35 में निहित प्रक्रिया के

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसार हेलीकॉप्टर के स्वामित्व परिवर्तन के सम्बन्ध में यथा अपेक्षित सूचना महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेज कर पंजीकृत कराने की औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाएं तथा हेलीकॉप्टर के विक्रय के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं यथासमय पूर्ण कराकर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- उक्त हेलीकॉप्टर एवं उसके फालतू पुर्जो/रोटेबल्स के विक्रय से प्राप्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्राप्तियों-08-हवाई सेवाओं से प्राप्त प्राप्तियो" के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या ई-7-1114/दस-2015, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0: 91/2015/1739(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।